

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
12/64/2017

प्रवेश तिथि
01-05-2017

निर्णय दिनांक
30-01-2019

01- सुखराम पुत्र रघुवीर सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम सैंथली तहसील रामगढ़, जिला अलवर राज०
अपीलाण्ट

बनाम

01- तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़
दिनांक 08.03.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू०
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 223/2017

उपस्थित:-

01-श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल

-वकील अपीलाण्ट

---निर्णय:--

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 08.03.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम सैंथली की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1/1.27 है० के 0.10 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ० को जयें सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम सैंथली की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1/1.27 है० के 0.10 है० पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 15.02.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 08.03.2017 के विरुद्ध दिनांक 01.05.2017 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 01.05.2017 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोड़ना बताया गया है तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने का निवेदन किया है। अतः अपील अपीलांट तहसीलदार रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि विवादित आराजी की जांच संबंधित गिरदावर से करावें और अगर विवादित आराजी पर अपीलांट का अतिक्रमण पाया जाता है तो उसके विरुद्ध एल आर एक्ट के तहत 91(6) के तहत कार्यवाही की जावे। वकील अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि वो दिनांक 27.02.2019 को तहसीलदार रामगढ़ के न्यायालय में उपस्थित हों। नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने पर अपीलांट की तामील मानी जावेगी।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30-01-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(आपीलार्थी)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)